

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

सल नं. 2/137/2020

तारीख रजू.....

पप्पू सिंह बगैरा

बनाम

बनै सिंह बगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 502, 740, वाके बहरामपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 27.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 27.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>में डायना खु बनी-पन्ना का पाहता है</p>
27.10.20	<p>पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी ने जो पत्र पेश कर अपने मूल वाद के खारिज कर लिया है। अब, जो पत्र 212 का पेशा जाने का कोई इतिहास नहीं है। अब, जो पत्र 212 का पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल सुनल के कल नरेश के कल मूल वाद के साथ सल न रहे।</p>	<p>पप्पू</p> <p>मलूकी</p> <p>Q. dandy</p>

अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Handwritten signature